

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।  
आदेश क्रमांक 23/147-99 दि-18/8 दिनांक, चण्डीगढ़, 11-9-99

हरियाणा पब्लिक स्कूल खरखौदा सौनीपत को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से <sup>एनवी</sup> स्तर की <sup>सम्बद्धता</sup> हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. विद्यालय को वर्ष 1999-2000 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।
2. विद्यालय के प्रबन्धक आगामी वर्ष 2000-2001 में <sup>दस्तावेज</sup> अस्थाई मान्यता प्राप्त करेंगे अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द समझा जाएगा।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करेगा तथा इसके तहत जो भी नियम बनेंगे विद्यालय उनकी पालना करेगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।
4. विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली विभाग की हिदायतों की पालना करेगा।

प्रशान्त महापात्रा  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-  
दिनांक, चण्डीगढ़, 22-9-99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाथ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, सौनीपत को उनके पत्र क्रमांक सी-1-99/1601 दिनांक 2-8-99 के संदर्भ में।
2. <sup>(सौनीपत)</sup> मुख्याध्यापक : पब्लिक स्कूल खरखौदा सौनीपत
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी, सैन्टर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092.

महायक निदेशक वि-1

कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

RE